

28/04/25

अधिवक्ता अपीलेंट अनु. अपीलेंट रंग उनके
अधिवक्ता को न्यायालय की ओर से बार-बार
आवाजे लगाने के बावजूद और उपस्थित नहीं
आये। लिहाजा पत्रावली अदम हाजिरी अदम
पैरों में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल
सुमार लेकर बाद आवश्यक कार्यवाही साजिद
दफ़तर से।

